उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ
CIN : U32201UP1999SGC024928

संख्या–486–ज0श0 एवं प्र0सु0–01/पाकालि/2021–03–ज0श0 एवं प्र0सु0/2020, दिनाँक 12.04.2021

प्रबन्ध निदेशक,
पूर्वांचल/मध्याँचल/पश्चिमाँचल/दक्षिणाँचल,
वि0वि0नि0लि0, कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लि0 (केस्को)
वाराणसी/लखनऊ/मेरठ/आगरा/कानपुर।

विषय : भारत सरकार द्वारा कोविड–19 के संक्रमण के प्रसार को रोकने हेतु स्टैण्डर्ड आपरेटिंग प्रोसीजर (SOP)

महोदया/महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक कारपोरेशन के पत्र संख्या–511–ज0श0 एवं प्र0सु0–01/पाकालि/2020–03–ज0श0 एवं प्र0सु0/2020, दिनाँक 22.06.2020**(छायाप्रति संलग्न)** का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के कोविड–19 के संक्रमण के प्रसार को रोकने हेतु स्टैण्डर्ड आपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) दिनांक 04.06.2020 **(छायाप्रति संलग्न)** को संलग्न कर उसमें दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने का अनुरोध किया गया था।

उक्त के अतिरिक्त मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा प्रेषित पत्र संख्या–685/2021/सीएक्स–3 दिनांक 11.04.2021 **(छायाप्रति संलग्न)** को संलग्न कर आपसे अनुरोध है कि भारत सरकार द्वारा जारी किये गये स्टैण्डर्ड आपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) एवं शासन के उक्त पत्र दिनांक 11.04.2021 में कोविड–19 महामारी के रोकथाम के संबंध में दिए गये दिशा–निर्देश को वितरण निगम के अधीन समस्त कार्यालयों, बिलिंग केन्द्रों एवं उपकेन्द्रों में प्रसारित करायें जाने तथा साथ ही इनका अनुपालन भी सुनिश्चित कराये जाने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(ए0के0 पुरवार)
निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)

संख्या–486(i)–ज0श0 एवं प्र0सु0–01/पाकालि/2021, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. समस्त निदेशकगण, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
4. अधिशासी अभियन्ता (वेब), शक्ति भवन लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

12/4/21

(ए0के0 पुरवार)
निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)

RAX-0522-221-8327/8423 Mail ID - dstraininguppcl@gmail.com

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ
CIN : U32201UP1999SGC024928

क्र.सं.-13

संख्या–511–ज0श0 एवं प्र0सु0–01/पाकालि/2020–03–ज0श0 एवं प्र0सु0/2020, दिनाँक 22.06.2020

प्रबन्ध निदेशक,
पूर्वांचल/मध्यॉंचल/पश्चिमाँचल/दक्षिणाँचल,
वि0वि0नि0लि0, कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लि0 (केस्को)
वाराणसी/लखनऊ/मेरठ/आगरा/कानपुर।

विषय : भारत सरकार द्वारा कोविड–19 के संक्रमण के प्रसार को रोकने हेतु स्टैण्डर्ड आपरेटिंग प्रोसीजर (SOP)

महोदया/महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के कोविड–19 के संक्रमण के प्रसार को रोकने हेतु स्टैण्डर्ड आपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) दिनांक 04.06.2020 **(छायाप्रति संलग्न)** का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

आपसे अनुरोध है कि भारत सरकार द्वारा जारी किये गये स्टैण्डर्ड आपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) को वितरण निगम के अधीन समस्त कार्यालयों, बिलिंग केन्द्रों एवं उपकेन्द्रों में प्रसारित कराये जाने तथा साथ ही इनका अनुपालन भी सुनिश्चित कराये जाने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(ए0के0 पुरवार)
निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)

संख्या–511(i)–ज0श0 एवं प्र0सु0–01/पाकालि/2020, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. समस्त निदेशकगण, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
4. अधिशासी अभियन्ता (वेब), शक्ति भवन लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

(ए0के0 पुरवार)
निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)

4th June, 2020

Government of India
Ministry of Health & Family Welfare

SOP on preventive measures to contain spread of COVID-19 in offices

1. Background

Offices and other workplaces are relatively close settings, with shared spaces like work stations, corridors, elevators & stairs, parking places, cafeteria, meeting rooms and conference halls etc. and COVID-19 infection can spread relatively fast among officials, staffs and visitors.

There is a need to prevent spread of infection and to respond in a timely and effective manner in case suspect case of COVID-19 is detected in these settings, so as to limit the spread of infection.

2. Scope

This document outlines the preventive and response measures to be observed to contain the spread of COVID-19 in office settings. The document is divided into the following sub-sections

(i) Generic preventive measures to be followed at all times
(ii) Measures specific to offices
(iii) Measures to be taken on occurrence of case(s)
(iv) Disinfection procedures to be implemented in case of occurrence of suspect/confirmed case.

Offices in containment zones shall remain closed except for medical & essential sevices. Only those outside containment zones will be allowed to open up.

3. Generic preventive measures

Persons above 65 years of age, persons with comorbidities, pregnant women are advised to stay at home, except for essential and health purposes. Office management to facilitate the process.

The generic preventive measures include simple public health measures that are to be followed to reduce the risk of infection with COVID-19. These measures need to be observed by all (employees and visitors) at all times. These include:

i. Individuals must maintain a minimum distance of 6 feet in public places as far as feasible.

ii. Use of face covers/masks to be mandatory.
iii. Practice frequent hand washing with soap (for at least 40-60 seconds) even when hands are not visibly dirty. Use of alcohol-based hand sanitizers (for at least 20 seconds) can be made wherever feasible.
iv. Respiratory etiquettes to be strictly followed. This involves strict practice of covering one's mouth and nose while coughing/sneezing with a tissue/handkerchief/flexed elbow and disposing off used tissues properly.
v. Self-monitoring of health by all and reporting any illness at the earliest to the immediate supervisory officer.
vi. Spitting shall be strictly prohibited.
vii. Installation & use of Aarogya Setu App by employees.

4. **Specific preventive measures for offices:**

i. Entrance to have mandatory hand hygiene (sanitizer dispenser) and thermal screening provisions.
ii. Only asymptomatic staff/visitors shall be allowed.
iii. Any officer and staff residing in containment zone should inform the same to supervisory officer and not attend the office till containment zone is denotified. Such staff should be permitted to work from home and it will not be counted as leave period.
iv. Drivers shall maintain social distancing and shall follow required dos and don'ts related to COVID-19. It shall be ensured by the service providers/ officers/ staff that drivers residing in containment zones shall not be allowed to drive vehicles.
v. There shall be provision for disinfection of the interior of the vehicle using 1% sodium hypochlorite solution/ spray. A proper disinfection of steering, door handles, keys, etc. should be taken up.
vi. Advise all employees who are at higher risk i.e. older employees, pregnant employees and employees who have underlying medical conditions, to take extra precautions. They should preferably not be exposed to any front-line work requiring direct contact with the public. Office management to facilitate work from home wherever feasible.
vii. All officers and staff / visitors to be allowed entry only if using face cover/masks. The face cover/mask has to be worn at all times inside the office premises.
viii. Routine issue of visitors/temporary passes should be suspended and visitors with proper permission of the officer who they want to meet, should be allowed after being properly screened.
ix. Meetings, as far as feasible, should be done through video conferencing.
x. Posters/standees/AV media on preventive measures about COVID-19 to be displayed prominently.

xi. Staggering of office hours, lunch hours/coffee breaks to be done, as far as feasible.

xii. Proper crowd management in the parking lots and outside the premises – duly following social distancing norms be ensured.

xiii. Valet parking, if available, shall be operational with operating staff wearing face covers/ masks and gloves as appropriate. A proper disinfection of steering, door handles, keys, etc. of vehicles should be taken up.

xiv. Any shops, stalls, cafeteria etc., outside and within the office premises shall follow social distancing norms at all times.

xv. Specific markings may be made with sufficient distance to manage the queue and ensure social distancing in the premises.

xvi. Preferably separate entry and exit for officers, staff and visitors shall be organised.

xvii. Proper cleaning and frequent sanitization of the workplace, particularly of the frequently touched surfaces must be ensured.

xviii. Ensure regular supply of hand sanitisers, soap and running water in the washrooms.

xix. Required precautions while handling supplies, inventories and goods in the office shall be ensured.

xx. Seating arrangement to be made in such a way that adequate social distancing is maintained.

xxi. Number of people in the elevators shall be restricted, duly maintaining social distancing norms.

xxii. For air-conditioning/ventilation, the guidelines of CPWD shall be followed which *inter alia* emphasises that the temperature setting of all air conditioning devices should be in the range of 24-30°C, relative humidity should be in the range of 40-70%, intake of fresh air should be as much as possible and cross ventilation should be adequate.

xxiii. Large gatherings continue to remain prohibited.

xxiv. Effective and frequent sanitation within the premises shall be maintained with particular focus on lavatories, drinking and hand washing stations/areas.

xxv. Cleaning and regular disinfection (using 1% sodium hypochlorite) of frequently touched surfaces (door knobs, elevator buttons, hand rails, benches, washroom fixtures, etc.) shall be done in office premises and in common areas

xxvi. Proper disposal of face covers / masks / gloves left over by visitors and/or employees shall be ensured.

xxvii. In the cafeteria/canteen/dining halls:

   a. Adequate crowd and queue management to be ensured to ensure social distancing norms.
   b. Staff / waiters to wear mask and hand gloves and take other required precautionary measures.
   c. The seating arrangement to ensure a distance of at least 1 meter between patrons as far as feasible.
   d. In the kitchen, the staff to follow social distancing norms.

5. **Measures to be taken on occurrence of case(s):**

Despite taking the above measures, the occurrence of cases among the employees working in the office cannot be ruled out. The following measures will be taken in such circumstances:

i. When one or few person(s) who share a room/close office space is/are found to be suffering from symptoms suggestive of COVID-19:

a. Place the ill person in a room or area where they are isolated from others at the workplace. Provide a mask/face cover till such time he/she is examined by a doctor.
b. Immediately inform the nearest medical facility (hospital/clinic) or call the state or district helpline.
c. A risk assessment will be undertaken by the designated public health authority (district RRT/treating physician) and accordingly further advice shall be made regarding management of case, his/her contacts and need for disinfection.
d. The suspect case if reporting very mild/mild symptoms on assessment by the health authorities would be placed under home isolation.
e. Suspect case, if assessed by health authorities as moderate to severe, will be treated as per health protocol in appropriate health facility.
f. The rapid response team of the concerned district shall be requisitioned and will undertake the listing of contacts.
g. The necessary actions for contact tracing and disinfection of work place will start once the report of the patient is received as positive. The report will be expedited for this purpose.

ii. If there are large numbers of contacts from a pre-symptomatic/asymptomatic case, there could be a possibility of a cluster emerging in workplace setting. Due to the close environment in workplace settings this could even be a large cluster (>15 cases). The essential principles of risk assessment, isolation, and quarantine of contacts, case referral and management will remain the same. However, the scale of arrangements will be higher.

iii. **Management of contacts:**

a. The contacts will be categorised into high and low risk contacts by the District RRTas detailed in the Annexure I.
b. The high-risk exposure contacts shall be quarantined for 14 days.

c. These persons shall undergo testing as per ICMR protocol.

d. The low risk exposure contacts shall continue to work and closely monitor their health for next 14 days.

e. The flowchart for management of contact/ cases is placed at **Annexure - II**.

6. Closure of workplace

i. If there are one or two cases reported, the disinfection procedure will be limited to places/areas visited by the patient in past 48 hrs. There is no need to close the entire office building/halt work in other areas of the office and work can be resumed after disinfection as per laid down protocol.

ii. However, if there is a larger outbreak, the building/block will have to be closed for 48 hours after thorough disinfection. All the staff will work from home, till the building/block is adequately disinfected and is declared fit for re-occupation.

7. Disinfection Procedures in Offices

Detailed guidelines on the disinfection as already issued by Ministry of Health & Family Welfare as available on their website shall be followed.

Annexure I

Risk profiling of contacts

Contacts are persons who have been exposed to a confirmed case anytime between 2 days prior to onset of symptoms (in the positive case) and the date of isolation (or maximum 14 days after the symptom onset in the case).

High-risk contact

- Touched body fluids of the patient (respiratory tract secretions, blood, vomit, saliva, urine, faeces; e.g. being coughed on, touching used paper tissues with a bare hand)
- Had direct physical contact with the body of the patient including physical examination without PPE
- Touched or cleaned the linens, clothes, or dishes of the patient.
- Lives in the same household as the patient.
- Anyone in close proximity (within 1 meter) of the confirmed case without precautions.
- Passengers in close proximity (within 1 meter) in a conveyance with a symptomatic person who later tested positive for COVID-19 for more than 6 hours.

Low-risk contact

- Shared the same space (worked in same room/similar) but not having a high-risk exposure to confirmed case of COVID-19.
- Travelled in same environment (bus/train/flight/any mode of transit) but not having a high-risk exposure.

Annexure II

Management of the case(s) and contacts

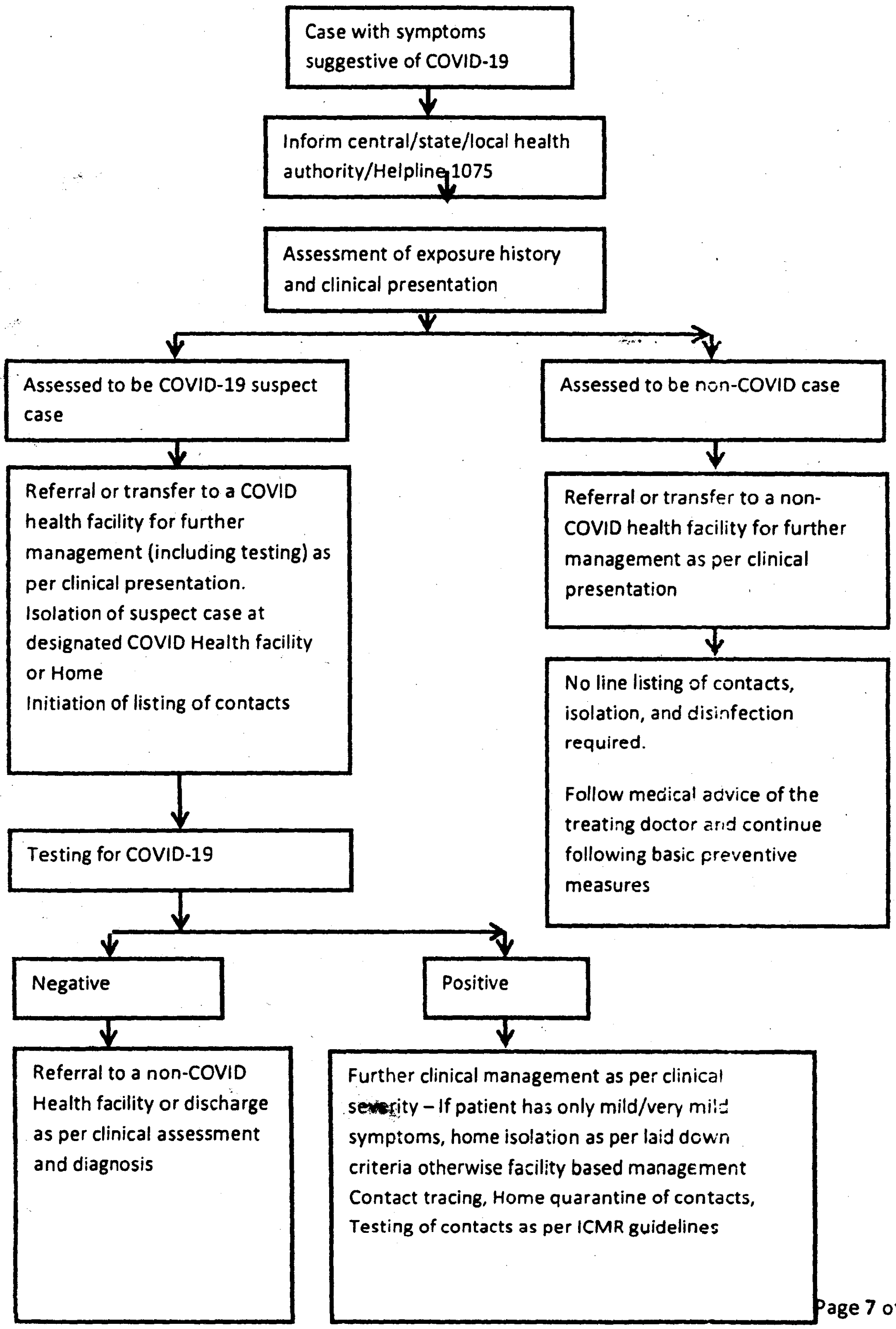

संख्याः 685/2021/सीएक्स-3

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त/अपर पुलिस महानिदेशक, जोन, उत्तर प्रदेश।
समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक रेंज,
पुलिस आयुक्त, लखनऊ/गौतमबुद्ध नगर/कानपुर/वाराणसी।
समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

गृह(गोपन) अनुभाग-3 लखनऊ, दिनांकः 11 अप्रैल, 2021

विषयः कोविड-19 महामारी के रोकथाम के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

महोदय,

कोविड-19 से सम्बन्धित कन्टेनमेन्ट जोन की निगरानी व अपेक्षित सावधानियों के विषय में निर्गत दिशा-निर्देशों के क्रम में शासनादेश संख्याः 600/2021-सीएक्स-3, दिनांक 26.03.2021 निर्गत किया गया है।

(A) **बंद व खुले स्थानों के लिए अधिकतम व्यक्तियों की संख्याः-**

शासनादेश संख्याः 600/2021-सीएक्स-3, दिनांक 26.03.2021 के क्रम में कोविड-19 के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल तथा अपेक्षित सावधानियां बरतने के साथ कन्टेनमेन्ट ज़ोन के बाहर सामाजिक/धार्मिक/खेल/मनोरंजन/शैक्षिक/सांस्कृतिक आदि कार्यक्रमों में लोगों के इकट्ठा होने की व्यवस्था अग्रिम आदेशों तक निम्नवत होगीः-

(i) किसी भी बन्द स्थान यथा हॉल/कमरे की निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिशत किन्तु एक समय में अधिकतम 50 व्यक्तियों तक ही फेस मॉस्क, सोशल डिस्टेन्सिंग, थर्मल स्कैनिंग व सैनेटाइजर एवं हैण्ड वॉश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ।

(ii) खुले स्थान/मैदान पर ऐसे स्थानों के क्षेत्रफल की 50 प्रतिशत से कम क्षमता तक किन्तु एक समय में अधिकतम 100 व्यक्तियों तक ही फेस मॉस्क, सोशल डिस्टेन्सिंग, थर्मल स्कैनिंग व सैनेटाइजर एवं हैण्ड वॉश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ।

(B) **कोविड-19 से बचाव हेतु प्रदेश के सभी विभागों के समस्त स्तरों के कार्यालयो में यथा कलेक्ट्रेट, तहसील, विकास भवन, ब्लाक, पुलिस के समस्त कार्यालय, थाना आदि एवं औद्योगिक इकाईयों में कोविड हेल्प डेस्क स्थापित किए जाने के सम्बन्ध मेः-**

उक्त विषय में चिकित्सा अनुभाग-5, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्याः646/पांच-5-2020 दिनांक 07.04.2021 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए तथा जिन कार्यालयों में अभी तक कोविड हेल्प डेस्क स्थापित नहीं किया गया है, उन्हें तत्काल स्थापित करते हुए उन कार्यालयों के कार्यालयाध्यक्षों/प्रभारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए।

(C) **कोरोना कर्फ्यू के सम्बन्ध में दिशा-निर्देशः-**

गृह (गोपन) अनुभाग-3 के आदेश संख्या:680/2021-सीएक्स-3 दिनांक 08.04.2021 द्वारा कोविड-19 के प्रभावी नियंत्रण हेतु यह निर्देश दिए गए थे कि जिन जिलों में प्रतिदिन 100 से अधिक कोरोना केसेस पाए जा रहे है अथवा जहां कुल एक्टिव कोरोना केसेस 500 से अधिक है, ऐसे जिलों में रात्रि में आवागमन नियंत्रित करने के उद्देश्य से रात्रि 09.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक रात्रि निषेधाज्ञा लागू करने पर विचार कर लिया जाए। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कोरोना कर्फ्यू का प्रभावी अनुपालन जिले के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा स्वयं चेकिंग कर किया जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि सभी कण्टेनमेंट जोन में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। उपरोक्त की रिपोर्ट प्रतिदिन ICCC (इन्टीग्रेटेड कमाण्ड कंट्रोल सेंटर) के माध्यम से गृह विभाग को उपलब्ध करायी जाए।

(D) उ0प्र0 महामारी कोविड-19 विनियमावली, 2020 के विनियम-15 का अनुपालन किए जाने के सम्बन्ध मे:-

उ0प्र0 महामारी कोविड-19 विनियमावली 2020 के विनियम-15 के अन्तर्गत मॉस्क का उपयोग कराने का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए तथा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक पुलिस कर्मी भी मॉस्क एवं हैण्ड ग्लब्स का अनिवार्य रुप से उपयोग करेंगे।

(E) जनपदों में स्थापित पी0ए0 सिस्टम (पब्लिक एड्रेस सिस्टम) को क्रियाशील बनाये रखने तथा कोविड-19 से बचाव एवं जागरूकता के संबंध में प्रभावी कार्यवाही कराने के सम्बन्ध मे:-

कोविड-19 महामारी से बचाव एवं जागरूकता के संबंध में प्रचार-प्रसार हेतु जनपदों में पी0ए0 सिस्टम स्थापित किये गये है। उक्त के सम्बन्ध में जनपदों में 06 विभाग (गृह, राजस्व, स्वास्थ्य, नगर विकास, पंचायती राज एवं परिवहन विभाग) द्वारा पी0ए0 सिस्टम लगाये गये है साथ ही लगाये गये स्थलों की क्रियाशीलता का अनुश्रवण भी किया जा रहा है। वर्तमान में पी0ए0 सिस्टम के माध्यम से कोविड-19 महामारी से बचाव के साथ-साथ कोविड वैक्सिनेशन की सम्बन्ध में जनजागरूकता के सम्बन्ध में प्रचार प्रसार किये जाने के तथा उक्त प्रयासों को और अधिक सशक्त किये जाने की आवश्यकता है।

अतएव इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपदों में स्थापित समस्त पी.ए.सिस्टम को तत्काल क्रियाशील कराते हुये यह भी ध्यान रखा जाये कि सभी पी.ए.सिस्टम सदैव क्रियाशील रहें। साथ ही स्थापित पी.ए.सिस्टम के माध्यम से कोविड-19 से बचाव एवं सुरक्षा विषयक मानकों/सुझावों के साथ-साथ कोविड वैक्सिनेशन की सम्बन्ध में प्रभावी प्रचार-प्रसार भी कराया जाये। यह भी निदेशित किया जाता है कि जनपदों में स्थापित समस्त स्टेटिक/वाहनों पर लगे तथा क्रियाशील पी.ए.सिस्टम के सम्बन्ध में सूचना जनपदों के इण्ट्रीग्रेटेड कोविड कन्ट्रोल सेण्टर (ICCC) के माध्यम से गृह विभाग को प्रतिदिन उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(F) रेलवे स्टेशनों पर कोविड-19 के संक्रमण को रोके जाने के सम्बन्ध मे:-

रेलवे स्टेशन पर कोविड-19 के संक्रमण से पूर्ण सतर्कता बरती जानी आवश्यक है। अतः इसके नियंत्रण के लिए यह आवश्यक है कि रेलवे स्टेशनों पर आने वाले समस्त यात्रियों की स्क्रीनिंग व एण्टीजन टेस्ट एवं आवश्यकतानुसार आरटीपीसीआर टेस्ट कराया जाए और उसकी रिपोर्ट के आधार पर अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, आगरा, झांसी, बरेली, मेरठ, गाजियाबाद, मथुरा, आजमगढ़, पं0 दीनदयाल नगर, अयोध्या, बस्ती, मुरादाबाद एवं अलीगढ़ के सन्दर्भ में जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त स्वयं संयुक्त निरीक्षण कर कोविड के संक्रमण को रोकने हेतु की गयी व्यवस्थाओं पर रिपोर्ट प्रेषित करें। उल्लेखनीय है कि रेलवे स्टेशन पर वर्तमान में आ रही समर स्पेशल ट्रेनों में अत्याधिक यात्री आ रहे है जिसके दृष्टिगत एक समय में ट्रेन के सभी यात्रियों के परीक्षण हेतु पर्याप्त टीमें लगायी जाए। इस सम्बन्ध में अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे सभी जी0आर0पी0 थानों से सूचना संकलित कर गृह विभाग को उपलब्ध कराएं।

(G) **मण्डी/साप्ताहिक मण्डी खुलने व बंद होने के सम्बन्ध मे:-**

स्थानीय मण्डियों को इस प्रकार संचालित किया जाए, जिससे वहां फुटकर बिक्री आदि के कारण भीड़-भाड़ न हो सके एवं नियंत्रित तरीके से कार्य हो सके। यदि आवश्यक हो तो जनपद स्तर पर ऐसी स्थानीय मण्डियों को भीड़-भाड़ वाले स्थानों से दूर अथवा अन्य खुले स्थानों पर कोविड प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करते हुए स्थानान्तरित करने पर भी विचार करते हुए आवश्यक कार्यवाही की जाए। मण्डी में अलग-अलग दुकानों को अलग-अलग समय पर खोला जाए तथा फुटकर दुकानों को प्रातः 07.00 बजे से सायं 07.00 बजे तक संचालित किया जाए, जिससे एक ही समय में अधिक व्यक्ति एकत्रित न होने पाए और उन स्थानों पर सोशल डिस्टेन्सिंग के प्राविधानों का पालन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही ज्यादा से ज्यादा मोबाइल इकाईयों द्वारा डोर स्टेप डिलेवरी से ही फल, सब्जी आदि नागरिको तक पहुचाने का कार्य किया जाए। सभी प्रमुख मण्डियों में प्रातः 04.00 बजे से प्रातः 08.00 बजे के बीच में ट्रकों की आवाजाही निर्बाध रुप से करायी जाए। यह अपेक्षा की जाती है कि जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक तथा अपर जिला मजिस्ट्रेट/अपर पुलिस अधीक्षक प्रातः 04.00 बजे से प्रातः 08.00 बजे के मध्य संयुक्त रुप से यह निरीक्षण करें कि उक्त व्यवस्था समुचित रुप से चलती रहे। निदेशक, मण्डी परिषद सम्बन्धित जिले के मण्डी समितियों से समन्वय स्थापित कर इसकी व्यवस्था करें।

(H) **चीनी मिलों द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में फायर टैंकर/फागिंग मशीन से सैनेटाइजेशन, साफ-सफाई एवं फागिंग हेतु दिशा-निर्देश:-**

चीनी मिल गेट एवं क्रय केन्द्रों पर यथा सम्भव हाथ सैनेटाइज करने वाली एवं हाथ धोने वाले मशीनों को संचालित किया जाए तथा किसी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए मिल स्तर पर कोविड उपचार हेतु संस्तुत दवाईयों, एम्बुलेंस, पल्स ऑक्सी मीटर एवं पी.पी.ई. किट की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। चीनी मिल परिसरों, भवनों, प्रवेश द्वार, केन यार्ड, वॉश रुम, कालोनी परिसर को भी प्रतिदिन विसंक्रमित किया जाए एवं फागिंग करवाई जाए।

(I) **कोविड-19 पर प्रभावी नियंत्रण हेतु होमगार्ड्स, पीआरडी, *NCC*, NSS (माध्यमिक शिक्षा विभाग) एवं सिविल डिफेन्स (नागरिक सुरक्षा विभाग) के टीमों को गठित करने के सम्बन्ध मे:-**

जनपदों में ग्रामवार/मोहल्लावार/वार्डवार कोरोना वैरियर्स की टीमें गठित की जाए, जिनमें होमगार्ड्स, पीआरडी. एन0सी0सी0 (नेशनल कैडेट कोर), एन0एस0एस0 (नेशनल सर्विस स्कीम) एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों/संस्थाओं आदि के वालंटियर्स /कार्यकर्ता रखे जाए। गठित टीम की ग्रामवार/मोहल्लावार/वार्डवार सूची संबंधित थानों में रखी जाए और उनके रजिस्टर बनाए जाए। इसमें जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, आपूर्ति विभाग, युवा कल्याण विभाग, सैनिक कल्याण विभाग के अधिकारियों यथा- जिला पूर्ति अधिकारी, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक आदि का सहयोग भी लिया जाए। जनपद स्तर पर इसकी मॉनीटरिंग हेतु जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मुख्य विकास अधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट को नामित किया जाए। कृपया तदनुसार अपने-अपने जनपदों में ग्रामवार/मोहल्लावार/ वार्डवार कोरोना वारियर्स की टीमें गठित कर अविलम्ब शासन को अवगत कराने का कष्ट करें जिसका अनुश्रवण प्रमुख सचिव, नागरिक सुरक्षा द्वारा किया जाएगा।

(J) **कोरोना वायरस के संक्रमण के दृष्टिगत फायर सर्विस विभाग द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश में आवश्यकतानुसार सैनेटाइजेशन कार्य किए जाने के सम्बन्ध मे:-**

उक्त विषय में गृह (पुलिस) अनुभाग-8 के शासनादेश संख्याः 754/छः-पु0-8-2020 दिनांक 03.04.2020 में प्रदेश के 75 जनपदों में सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/नगर आयुक्त से समन्वय स्थापित कर सैनेटाइजेशन का कार्य तात्कालिक प्रभाव से प्रारम्भ कराने के निर्देश दिए गए थे जिसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। प्रदेश के समस्त नगर निकाय यह सुनिश्चित करेंगे की अग्निशमन विभाग को उपरोक्त कार्य हेतु पर्याप्त मात्रा में सोडियम हाईपो क्लोराइड उपलब्ध करायी जाए।

(K) प्रदेश के समस्त माध्यमिक शिक्षा तथा बेसिक शिक्षा संस्थान के सम्बन्ध मे:-

प्रदेश के समस्त माध्यमिक शिक्षा तथा बेसिक शिक्षा संस्थानों में शिक्षण कार्य दिनांक 30.04.2021 तक बंद रहेगा परंतु जहां परीक्षाए चल रही होंगी वहां परीक्षाएं यथावत अवश्य सम्पन्न कराई जाएंगी।

प्रदेश के समस्त कोचिंग संस्थान दिनांक 30.04.2021 तक बंद रहेंगे। यद्यपि कोचिंग संस्थान ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन कर सकते है।

(L) कोविड-19 के प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों/जोन में धर्म स्थलों के सम्बन्ध मे:-

कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों/जोन में धर्म स्थलों के अन्दर एक बार में एक स्थान पर 05 से अधिक श्रद्धालु न हो। इस सम्बन्ध में संलग्न निर्देशों का अनुपालन कराया जाए।

उपरोक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,
11.04.2021
(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव

संख्या व दिनांक तदैवः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. कृषि उत्पादन आयुक्त/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
5. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश/पुलिस महानिदेशक, अग्निशमन सेवाएं, उ0प्र0।
6. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,
(अवनीश कुमार अवस्थी)
अपर मुख्य सचिव, गृह

(i) प्रवेश-द्वार पर हाथों को कीटाणु-रहित करने हेतु एल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का प्रयोग किया जाए एवं इन्फ्रारेड-थर्मामीटर की भी व्यवस्था यथासम्भव की जाए।

(ii) जिन व्यक्तियों में कोई लक्षण प्रदर्शित नहीं होगा केवल उन्हें ही परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी।

(iii) सभी प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को फेस-कवर/मास्क का प्रयोग करना अनिवार्य होगा।

(iv) कोविड-19 महामारी के सम्बन्ध में रोकथाम(Precaution) सम्बन्धी उपायों के रूप में जन-जागरूकता के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु परिसर में पोस्टर/स्टैन्डीज़ का प्रयोग प्रमुखता से करना होगा।

(v) जहां तक सम्भव हो आने वाले व्यक्तियों को विभिन्न समूहों में विभाजित करते हुए परिसर में प्रवेश करने की व्यवस्था की जाए जिससे कि अनावश्यक भीड़-भाड़ न हो और संक्रमण का प्रसार न होने पाए। प्रयास हो कि एक स्थान पर एक समय में पाँच से अधिक व्यक्ति एकत्रित न हो।

(vi) जूते/चप्पलों को अपने वाहन इत्यादि में ही उतार कर रखना अपेक्षित होगा। यदि आवश्यक हो तो इन्हें प्रत्येक व्यक्ति/परिवार द्वारा स्वंय ही अलग-अलग खांचों/ब्लाक में रखना होगा।

(vii) परिसरों के बाहर पार्किंग स्थलों पर भीड़ प्रबन्धन करते समय सोशल-डिस्टेंन्सिग का कड़ाई से अनुपालन करना होगा।

(viii) पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम/माइक से सभी व्यक्तियों/आगन्तुकों को कोविड-19 संक्रमण से बचाव के बारे में लगातार जागरुक किया जाए।

(ix) परिसर के बाहर स्थित किसी भी प्रकार की दुकानों, स्टॉल, कैफेटेरिया इत्यादि पर भी पूरे समय सोशल-डिस्टेंन्सिग के मानकों का कड़ाई से अनुपालन करना होगा।

(x) सोशल-डिस्टेंन्सिग को सुनिश्चित करने हेतु परिसरों में व्यक्तियों के लाइन में खड़े होने के लिए स्पष्ट दृश्य निशान/चिन्ह अंकित कर दिए जाएँ।

(xi) प्रवेश एवं निकास की यथासम्भव अलग-अलग व्यवस्था की जाए।

(xii) लाइनों में सभी व्यक्ति एक-दूसरे से कम से कम 6 फिट की शारीरिक दूरी पर रहेंगे।

(xiii) बैठने के स्थानों को भी सोशल-डिस्टेन्सिंग के अनुसार व्यवस्थित किया जाए।

(xiv) वेन्टिलेशन/एयर-कंडीशनरों आदि के साधनों के प्रयोग के समय तापमान 24-30 डिग्री के मध्य होना चाहिए आर्द्रता की सीमा 40 से 70 प्रतिशत के मध्य होनी चाहिए। क्रॉस- वैन्टिलेशन का प्रबन्धन इस प्रकार से होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा ताज़ी हवा (Fresh Air) अन्दर आ सके।

(xv) प्रतिरूप/मूर्तियों/पवित्र ग्रन्थों आदि को स्पर्श करने की अनुमति नहीं होगी।

(xvi) सभी प्रकार की सभाएं निषिद्ध रहेंगी।

(xvii) संक्रमण फैलने के खतरे के दृष्टिगत रिकार्ड किए हुए भक्ति-संगीत/गाने बजाये जा सकते हैं; किन्तु समूह में इकट्ठे होकर गायन की अनुमति नहीं होगी।

(xviii) प्रार्थना-सभाओं हेतु एक ही मैट/दरी के प्रयोग से बचा जाए। श्रद्धालुओं को अपने लिए अलग मैट/दरी/चादर आदि लानी चाहिए जिसे वह अपने साथ वापस भी ले जा सकते हों।

(xix) धर्म स्थल के अन्दर किसी प्रकार के प्रसाद वितरण अथवा पवित्र-जल के छिड़काव आदि की अनुमति नहीं होगी। एक-दूसरे को बधाई देते समय शारीरिक सम्पर्क से बचना होगा। श्रद्धालु एवं पूजा कराने वाले समेत कोई भी किसी को किसी रुप में स्पर्श न करें।

(xx) लंगर/सामुदायिक-रसोई(Community Kitchens)/अन्न-दान आदि हेतु भोजन तैयार/वितरित करते समय शारीरिक-दूरी के मानकों का अनुपालन करना होगा।

(xxi) परिसर के भीतर शौचालयों, हाथ-पैर धोने के स्थानों पर स्वच्छता हेतु विशेष उपाय करने होंगे।

(xxii) प्रबन्धन द्वारा धार्मिक स्थलों की लगातार सफाई और कीटाणु-रहित करने के उपाय करने होंगे।

(xxiii) परिसर के फर्श को विशेष रूप से कई बार साफ करना होगा।

(xxiv) आगुन्तक अपने फेस-कवर/मास्क/ग्लव्स आदि को सार्वजनिक स्थानों पर नहीं छोड़ेंगे, यदि कहीं कोई ऐसी सामग्री रहती है तो उनका उचित निपटान (Disposal) सुनिश्चित करना होगा।

(xxv) परिसर के अन्दर संदिग्ध/पुष्ट केस के मामले मे:-

(a) बीमार व्यक्ति को ऐसे स्थान पर रखा जाए जिससे कि वह अन्य व्यक्तियों से बिल्कुल अलग (isolate) हो जाए।

(b) डॉक्टर द्वारा उसकी जांच/परीक्षण होने तक उसे मास्क/फेस कवर दिया जाए।

(c) तुरन्त निकटतम अस्पताल/क्लीनिक अथवा जिला स्वास्थ्य हेल्पलाइन नं0 18001805145 को सूचित किया जाए।

(d) नामित स्वास्थ्य प्राधिकारी (District RRT/Treating Physician) द्वारा मरीज और उसके सम्पर्कों आदि के सम्बन्ध में संक्रमण के जोखिम का मूल्यांकन किया जाएगा, तदनुसार कार्यवाही की जाएगी।

(e) यदि व्यक्ति पॉजिटिव पाया जाए तो परिसर को पूर्ण रूप से कीटाणु-रहित किया जाए।